>

Title: Problems being faced by the employees of District Rural Development Authority (DRDAs) in the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, केन्द्र सरकार की केंद्र पोषित सारी परियोजनाएं चाहे मनरेगा हो, इंदिरा आवास हो, एमपीएलएडी स्कीम हो, स्वर्ण जयंती योजना हो, डीडब्ल्यूसीआरए, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट स्कीम या इसी तरह की सारी योजनाएं राज्यों के जनपदों में डीआरडीए के माध्यम से चलती हैं और पिछले तीस-पैंतीस वर्षों से लगातार ये योजनाएं चल रही हैं, जबकि शुरू में, वर्ष 1970 में 45 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया और फिर बाद में देश के सभी जिलों को लिया गया। लेकिन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसमें डीआरडीए के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा था, अब यह कहा गया है कि 21 मार्च, 2012 के बाद डीआरडीए को जो पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा था, नहीं दिया जाएगा।

20.00 hrs.

यह निश्चित तौर से डीआरडीए के समक्ष एक अनिश्चय की स्थिति पैदा हो गई है और मार्च 2012 से सभी जगह के डीआरडीए समाप्त हो जाएंगे। उनमें कार्यरत कर्मचारियों को कहीं और समायोजित करने की बात भी नहीं की गई है और न ही कोई यहां निर्देश है कि जो सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम्स हैं, उनका क्या होगा। क्यों सारे जनपदों में डीआरडीए ही उनके प्रस्तावों को तैयार करता है, क्रियान्वित करता है और फिर धरातल पर उतारता है। आखिर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए या ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए जिस डीआरडीए की स्थापना हुई थी, अगर उसे बंद करने का निर्णय लिया जाएगा इन परिस्थितियों में, कुछ राज्यों में इसे ग्राम विकास या जिला पंचायत के साथ समायोजित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और इस तरह के अन्य राज्यों में मार्च 2012 से डीआरडीए बंद हो जाएगा, तो सारी केन्द्रीय परियोजनाओं के भविष्य का क्या होगा? उन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके अलावा इसमें जो पिछले 30-35 वर्षों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इस बात को लेकर देश के सभी डीआरडीए के कर्मचारी आज जन्तर-मन्तर पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि वह इसमें तुंत हस्तक्षेप करे और निश्चित तौर से ग्रामीण विकास मंत्रालय इस बारे में कुछ करे या राज्य सरकार उनका समायोजन करे तथा उन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करे। इसके साथ केन्द्र की जो योजनाएं हैं, उन्हें लागू करने की दिशा में यथावत व्यवस्था को लागू करे।